

न्यायालय: अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ, बिरौल, दरभंगा।

जिला - दरभंगा, बिहार।

K.Asthan P.S. Case No:- 269/2020

G.R.No:- 825/2020

15.01.2021

अभिलेख संज्ञान के विन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ। देखा। सम्पूर्ण काण्ड दैनिकी का परिशीलन किया एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को संज्ञान के विन्दु पर सुना।

अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामला सूचक जटाशंकर पासवान के लिखित आवेदन पर पुलिस द्वारा कुशेश्वरस्थान थाना कांड संख्या- 269/2020 दिनांक 14.10.2020 भा०दं०वि० की धारा 341,323,325,504/34 के अंतर्गत अभियुक्त 1. जोगी पासवान पे०स्व० बृहस्पति पासवान, 2. वीरबल पासवान, 3. विनोद पासवान, 4. विक्रम पासवान, 5. रोशन पासवान एवं 6. राजकिशोर पासवान पांचो पे०जोगी पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्जकर अनुसंधान प्रारम्भ किया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुधानोपरांत प्राथमिकी अभियुक्तों को भा०दं०वि० की धारा 341,323,325,504/34 के अंतर्गत आरोपित करते हुये आरोप-पत्र संख्या- 319/2020 दिनांक 20.12.2020 काण्ड दैनिकी के साथ समर्पित किया है तथा अभियुक्तों का नाम आरोप-पत्र के कालम 11(i) में दर्ज किया है।

प्राथमिकी, आरोप-पत्र, जख्म प्रतिवेदन एवं कांड दैनिकी के आधार पर आरोप-पत्र के कालम 11(i) में वर्णित नामजद प्राथमिकी अभियुक्त 1. जोगी पासवान पे०स्व० बृहस्पति पासवान, 2. वीरबल पासवान, 3. विनोद पासवान, 4. विक्रम पासवान, 5. रोशन पासवान एवं 6. राजकिशोर पासवान पांचो पे० जोगी पासवान के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 341,323,325,504/34 के अंतर्गत के अंतर्गत अपराध का प्रथमदृष्टया मामला बनता हुआ पाया जाता है, तदनुसार नामजद प्राथमिकी अभियुक्त 1. जोगी पासवान, 2. वीरबल पासवान, 3. विनोद पासवान, 4. विक्रम पासवान, 5. रोशन पासवान एवं 6. राजकिशोर पासवान के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 341,323,325,504/34 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है तथा मामले को निजी विचारण पंजिका में दर्ज किये जाने का निर्देश दिया जाता है। कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति के लिये समन निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 22.03.2021 को अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु नियत किया जाता है।

लेखापित

T.R 894/21

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ,
बिरौल, दरभंगा।